

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(प्रश्न अनुभाग)

संख्या : 357 / वि०स० / 01 / प्र० / 2001

देहरादून, दिनांक: 15 सितम्बर, 2016

प्रेषक

जगदीश चन्द्र,
सचिव।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

विषय : विधान सभा में मंत्रियों द्वारा प्रश्नोत्तर दिये जाने हेतु वारों का आंवटन।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-36 के अनुसार माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2016 के दौरान मंत्रियों के लिये प्रश्नों का उत्तर देने हेतु निम्नलिखित रूप में वार आंवटित किये हैं:-

क्र.स.	दिन	कार्य/विभाग	सम्बद्ध मंत्री
1.	सोमवार	1. गोपन, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषयक कार्य, राज्य सरकार द्वारा न्यायिक/विधिक क्षेत्र में नामांकन/नियुक्तियां; राज्य सम्पत्ति, सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, अल्पसंख्यक कल्याण, सीमान्त क्षेत्र विकास, प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, वैकल्पिक ऊर्जा एवं वाह्य सहायतित परियोजनायें, खाद्य प्रसंस्करण, सैनिक कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति। 2. कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, पर्वतीय ग्रामों में चकबन्दी, वर्षा जल संग्रहण, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास, रेशम विकास एवं ग्राम्य तालाब विकास।	श्री हरीश रावत (मुख्यमंत्री) श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
2.	मंगलवार	1. खेल, वन एवं वन्य जीव, विधि एवं न्याय। 2. चिकित्सा सेवार्यें, परिवार कल्याण, आयुष, आयुष एवं यूनानी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, अर्द्ध सैनिक कल्याण परिषद एवं समाज कल्याण। 3. शहरी विकास, राजीव गांधी शहरी आवास योजना, पशुपालन, मत्स्य पालन, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, जेल, आवास विभाग एवं उद्यान।	श्री दिनेश अग्रवाल श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी श्री प्रीतम सिंह पंवार

3.	बुधवार	1. राजस्व एवं भू-प्रबंधन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज, भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनायें एवं आपदा प्रबंधन। 2. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, गृह एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास।	श्री यशपाल आर्य श्री प्रीतम सिंह
4.	गुरुवार	1. पर्यटन, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेले, युवा कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा। 2. विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता एवं छात्र कल्याण। 3. परिवहन, खनन, मुख्यमंत्री कार्यालय (सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, सतर्कता, सामान्य प्रशासन एवं सचिवालय प्रशासन)	श्री दिनेश धनै श्री मंत्री प्रसाद नैथानी श्री नव प्रभात
5.	शुक्रवार	1. वित्त, वाणिज्य कर, रटाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर, संसदीय कार्य, विधायी, निर्वाचन, जनगणना, भाषायें, प्रोटोकाल, उच्च शिक्षा, नियोजन एवं औद्योगिक विकास विभाग (खनन को छोड़कर)। 2. श्रम, सेवायोजन, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।	श्रीमती इन्दिरा हृदयेश श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल

जो विभाग/विषय किन्हीं मा0 कैबिनेट मंत्री को आवंटित नहीं हैं, वह विभाग/विषय मा0 मुख्यमंत्री जी को आवंटित होंगे। दिन या वार नियत करने में आपका ध्यान उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 2005 के नियम-32 (1) की ओर आकृष्ट किया जाता है क्योंकि यह आवश्यक है कि कोई ऐसा दिन नियत न किया जाय जो प्रश्नों की सूचना देने के 20 दिन पहले पड़ जाय।

2- उक्त नियमावली के नियम 35 (2) के अनुसार एक दिन की कार्यसूची में 20 तारांकित प्रश्नों से अधिक तथा एक सदस्य के तीन से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखे जा सकते हैं।

भू-दीय
(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

संख्या: _____ / वि0स0 / 01 / प्र0 / 2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1 माननीय अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ,
- 2 माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय उपाध्यक्ष के सूचनार्थ,
- 3 माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री के सूचनार्थ,
- 4 माननीय नेता प्रतिपक्ष के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष के सूचनार्थ,
- 5 समस्त मा0 मंत्रिगण के निजी सचिवों को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ,
- 6 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
- 7 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
- 8 विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

(मदन राम)
उप सचिव।